



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240308  
CG-DL-E-16112022-240308

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5084]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 5084]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5304(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3710 (अ) तारीख 10 अक्टूबर, 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 3372 तारीख 15 अक्टूबर, 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कर्नाटक राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकारी का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 10.02.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकारी का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकारी का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख के केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कोर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

### अनुसूची

तालुक : हासन		जिला : हासन	राज्य : कर्नाटक	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	1.दोड्डाबासवनहल्ली	140/2	00	01
2		27/3	00	02
3	2.दोड्डहोनेनहल्ली	110	00	01
4	3.कस्तूरावल्ली	16/2	00	01
5	4.समुद्रवल्ली	11/20ए	00	01
6	5.तेन्डिहल्ली	29/3	00	01
7		71/5	00	04
8		78/2	00	01
9	6.जी.मैलानहल्ली	165/3	00	01
10		165/1ए	00	01
11		18/1	00	01
12	7.द्यावलापुरा	77/3	00	01
13		68/11	00	01
14		61	00	01
15	8.हंद्रांगी	55/4	00	02
16	हंद्रांगी (जरी--)	51	00	01
17		38/3	00	01
18		15/1	00	02

19	9.योगिहल्ली	147/2सी	00	03
20		153/2	00	01
21	10.कोराबंगलकावतु	118	00	02
22		102	00	01
23		79	00	02
24	11.मायसमुद्रा	37/3	00	01
25		39/1	00	02
26		44/9	00	01
27		46/1	00	01
28	12.दूदा	265/2	00	02
29		242	00	01
30		239/1	00	01
31		182/3	00	01
32		195/2	00	02
33	13.होन्नाम्मनाहल्ली	11/5	00	02
34	14.अट्टावर	99/1	00	04
35	15.अट्टावरा होसहल्ली	192/1	00	01
36		199/3	00	01
37		202/3	00	01
38		29/1	00	01
39		37/1	00	01
40	16.रुद्रदेवरहल्ली	21/1	00	01
41		15	00	10
42	17.मंजेनाहल्ली कावल	2	00	01

[फा. सं. आर-12030(27)/2/2019-ओआर-1/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2022

**S.O. 5304(E).**—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3710 (E) dated the 10<sup>th</sup> October, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No 3372 dated the 15<sup>th</sup> October, 2019 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that

notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 10.02.2020

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

#### SCHEDULE

Taluka : Hassan		District : Hassan	State : Karnataka	
Sl.No.	Name of The Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1.Doddabasavanahalli	140/2	00	01
2		27/3	00	02
3	2.Doddahonnenahalli	110	00	01
4	3.Kasthuravalli	16/2	00	01
5	4.Samudravalli	11/20A	00	01
6	5.Tendihalli	29/3	00	01
7		71/5	00	04
8		78/2	00	01
9	6.G.Mailanahalli	165/3	00	01
10		165/1A	00	01
11		18/1	00	01
12	7.Dyavalapura	77/3	00	01
13		68/11	00	01
14		61	00	01
15	8.Handrangi	55/4	00	02
16		51	00	01
17		38/3	00	01
18		15/1	00	02
19	9.Yogihalli	147/2C	00	03
20		153/2	00	01

21	10.Koravangalakavalu	118	00	02
22		102	00	01
23	Koravangalakavalu (Count..)	79	00	02
24	11.Mayasamudra	37/3	00	01
25		39/1	00	02
26		44/9	00	01
27		46/1	00	01
28	12.Dudda	265/2	00	02
29		242	00	01
30		239/1	00	01
31		182/3	00	01
32		195/2	00	02
33	13.Honnammanahalli	11/5	00	02
34	14.Attavara	99/1	00	04
35	15.Attavara Hosahalli	192/1	00	01
36		199/3	00	01
37		202/3	00	01
38		29/1	00	01
39		37/1	00	01
40	16.Rudradevarahalli	21/1	00	01
41		15	00	10
42	17.Manjenahalli Kaval	2	00	01

[F. No. R-12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.